

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./रा./ 8376

रायपुर, दिनांक 1/7/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)

छ.ग. अटल नगर नवा रायपुर

विषय :- धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु PWD (B&R) Division Dhamtari द्वारा Upgradation Renewal and widening work of Megha-Singpur-Dugli- Road i/c culvert and bridge work. Total length 35 Km. within is proposed 23.715 Km. length. Forest land diversion. हेतु क्षेत्रफल 37.973 हे. पंजीयन बाबत ।

पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/151953/2022 **दिनांक** 04.05.2022

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115 -921/1008 दि. 04.05.2022

2. वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी का पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/सी /1602 दिनांक 24.07.2023

—00—

विषयांतर्गत निवेदन है, कि धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य रकबा 37.973 हे. प्रकरण का वरिष्ठ कार्यालय द्वारा ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक/FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022 को संदर्भित पत्र 01 के माध्यम से आबंटित किया गया है। उक्त प्रकरण को प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी के द्वारा कार्या. पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/सी/956 दिनांक 11.05.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। प्रकरणों का अवलोकन करने पर इसमें कुछ कमियां पायी गयी थी। जिसकी पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु कार्या. पत्र क्रमांक/तक.शा./सड़क/6565 दिनांक 15.06.2023 एवं 7478 दिनांक 11.07.2023 के द्वारा वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी को लेख किया गया है। उक्त पत्र के तारतम्य में वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी के द्वारा संदर्भित पत्र 02 के माध्यम से पुनरीक्षित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक वार विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 07) — आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वन भूमि मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है। साथ ही आवेदक विभाग द्वारा ऑनलॉइन फार्म।
पार्ट 1 प्रविष्ट कर प्रस्ताव में हस्ताक्षर कर संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र-1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 08 से 10) – अपर
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकरण का रजिस्ट्रेशन क्रमांक –
FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022 को आबंटित किया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 11) – कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग
धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वन
भूमि मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए वनभूमि के गैर
वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत मांग किया गया है। जिसका विवरण
प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 17) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग
उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य अंतर्गत धमतरी जिले के 05 ग्रामों का 20.721 हे. राजस्व
/निजी भूमि प्रभावित हो रहा है। प्रभावित राजस्व/निजी भूमि का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000
स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 18 से 19) –** मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण
निर्माण कार्य में प्रस्तावित वन क्षेत्र को सर्वे ऑफ इंडिया के 1:50000 स्केल मानचित्र पर
चिह्नांकित कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 20 से 21)– मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग
उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में प्रस्तावित वन क्षेत्र को वन प्रबंधन सूचना प्रणाली नवा
रायपुर से प्राप्त स्टॉक मानचित्र (स्केल 1:15000) शीट क्रमांक 64/H/13/A3, 64/H/ 14/A1, 64/H /
14/A2, 64/H/14/B2, 64/H/14/B3, 64/H/15/B1 एवं वनस्पति मानचित्र (स्केल 1:50000) शीट
क्रमांक 64/H/09, 64/H/10, 64/H/13, 64/H/14, 64/H/15 में चिह्नांकित कर प्रस्ताव में संलग्न किया
गया है। स्टॉक मानचित्र (स्केल 1:15000) एवं वनस्पति मानचित्र (स्केल 1:50000) बुकलेट
क्रमांक 02 में संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र- 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 22 से 30)– प्रपत्र-4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित
मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में धमतरी वनमंडल अंतर्गत
37.973 हे. आरक्षित वनभूमि तथा 20.721 हे. राजस्व/निजी भूमि के लिए परियोजना की
प्रशासकीय लागत 7062.11 लाख बतायी गई है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 31)– व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित मेघा-सिंगपुर
-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे.

आरक्षित वनभूमि के लिए प्रोजेक्ट का विस्तृत टीप प्रस्ताव में संलग्न है। जिसके अनुसार मार्ग की कुल लंबाई 35.00 कि.मी. है, जिसमें में 23.715 कि.मी लंबाई वनक्षेत्र से गुजर रहा है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 32) – आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा प्रकरण के वन व्यपवर्तत के विरुद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा मांग की जाने वाली आवश्यक राशि जमा किये जाने का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 33) – आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होने तथा मांग की गई 37.973 हे. वनभूमि न्यूनतम होने का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 43) – आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 को प्रस्ताव में संलग्न कर परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता न होने का लेख किया गया है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र- अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 44 से 46) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र में कुल 2498 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित वृक्षों की प्रजातिवार एवं गोलाईवार संख्या प्रस्ताव में संलग्न है। साथ ही प्रकरण में वर्ष 2006-07 में सड़क किनारे दुगली वन परिक्षेत्र के वन कक्ष में किया गया रतनजोत वृक्षारोपण में से 2226 रतनजोत का पौधा भी प्रभावित हो रहा जिसकी जानकारी अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 158 से 160 में संलग्न किया गया है। रतनजोत का पौधा ईमारती एवं जलाऊ हेतु उपयुक्त न होने के कारण इसे प्रकरण में प्रभावित 2498 वृक्षों की गणना में शामिल नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रभावित वृक्षों का कक्षवार/प्रजातिवार जानकारी प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 46 (A) में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 47 से 54) – प्रस्तावित मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य परियोजना का कास्ट बेनीफिट अनुपात 1:8.269 है जो कि आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी तथा वन मंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल धमतरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)/ राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 55 से 56) – प्रकरण में

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वनों के सुधार के तहत महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. का चयन किया गया है। प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है होने के कारण इससे संबंधित अभिलेखों की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित आरक्षित वनभूमि को टोपोशीट में चिन्हांकित कर प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 56 में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 57) — प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वनों के सुधार के तहत महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. का चयन किया गया है। प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है होने के कारण इससे संबंधित अभिलेखों की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 58 से 98) — मेधा—सिंगपुर—दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए धमतरी वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि के एवज में दुगुने बिगड़े वनों के सुधार के तहत महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. का चयन किया गया है। उक्त चयनित क्षेत्र हेतु 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन 9,66,666/— प्रति हे. की दर से वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा द्वारा तैयार किया गया है, जो उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा तथा वनमंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा हस्ताक्षरित है। 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 99 से 100)— प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. चयनित क्षेत्र का वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा, उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा तथा वन मंडलाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 101) — मेधा—सिंगपुर—दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए धमतरी वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि में आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा किसी भी प्रकार का गैर—वानिकी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 102) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए धमतरी वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि में आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 103) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए धमतरी वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि में आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 104 से 105) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए धमतरी वनमंडल अंतर्गत आवेदित आरक्षित वन भूमि 37.973 हे. के एवज में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र दिनांक 17.11.2022 को प्रदान किया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 106)– आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई वनभूमि मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है। प्रकरण मार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण प्रस्ताव में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 107)– आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई वनभूमि मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है। प्रकरण खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान प्ठड नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 108)– आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई वनभूमि मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है। प्रकरण खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 109) – मेघा—सिंगपुर—दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से किसी को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 110 से 122) – आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा भाग-1 पूर्ण कर प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 111 से 113 में संलग्न किया गया है। प्रस्तावित मेघा—सिंगपुर—दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में प्रभावित वनक्षेत्र का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 11.05.2023 को निरीक्षण किया गया है। भौतिक निरीक्षण के आधार पर भाग – 2 एवं प्रपत्र – 3 पूर्ण कर इस वनमंडल अंतर्गत मगरलोड ब्लॉक एवं नगरी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में आवागमन/परिवहन की सुगम व्यवस्था तथा जनहित में मार्ग उन्नयन उपयोगी होने की दृष्टि से प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा दिनांक 11.05.2023 को की गई है, जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 114 से 120 में संलग्न है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 123) – मेघा—सिंगपुर—दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 124 से 132) – मेघा—सिंगपुर—दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में मार्ग निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 133) – धमतरी जिला में 205632.00 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं 6922.00 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि कुल 212554.00 हेक्टेयर वनभूमि विद्यमान है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 134 से 135) – धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कुल स्वीकृत 18 प्रकरणों में 588.207 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हुआ है। स्वीकृत प्रकरणों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 136) – धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल 01 प्रकरण में 25.147 हे. वन भूमि व्यपवर्तित किया गया है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 137) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित/प्रस्तावित नहीं है और ना ही अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 238 से 138) – आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई वनभूमि मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है। प्रकरण खनन से संबंधित न होने के कारण 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों के चिन्हांकन की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 139 से 142) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर जिला धमतरी का दिनांक 10.10.2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 143 से 145) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य प्रकरण में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। राजस्व वन भूमि प्रभावित न होने संबंधी कलेक्टर जिला धमतरी का दिनांक 10.10.2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 146) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 37.973 हे. वनभूमि के एवज में आवेदक संस्थान द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन दिया गया है। वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 147) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 37.973 हे. वनभूमि के स्वीकृति के एवज में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के परिपालन में आवेदक संस्थान द्वारा कैम्पा खाता में समस्त राशि जमा करने का वचन दिया गया है। वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 148) – आवेदित वनक्षेत्र में सामान्यता उथली से मध्यम गहराई की मृदा है तथा मृदा का प्रकार सैंडी लोम है,

जिसमें पेबल्स एवं ग्रेवल्स (छोटे बड़े पत्थर युक्त) है, जिसकी ऊर्वरा शक्ति न्यून है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 149) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 37.973 हे. वनभूमि में किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ न करने का आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 150) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। चूंकि प्रस्तावित मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वनक्षेत्र 37.973 हे. है। अतः इसकी आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 151 से 153) – प्रस्तावित मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वनक्षेत्र 37.973 हे. हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ) छ.ग. द्वारा प्रकरण का पंजीयन क्रमांक – FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022 को आबंटित किया गया है। प्रकरण के विरुद्ध आवेदक संस्थान से पंजीयन शुल्क रुपये 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 18000/- इस प्रकार कुल राशि रुपये 24000/- की राशि बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक 496147 दिनांक 14.03.2022 से वसूल की जाकर उसे कोषालय में चालान क्रमांक 192657416/00034 दिनांक 12.05.2022 से जमा कर दिया गया है। चालान एवं बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 154) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 37.973 हे. वनभूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्र से नहीं गुजर रहा है। अतः इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान तथा वनमंडलाधिकारी का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 155) – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वनभूमि 37.973 हे. मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित है। प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 156 से 237)— आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रस्तावित सड़क के लॉगिट्यूडनल सेक्शन एवं क्रॉस सेक्शन का नक्शा, व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट (पृष्ठ क्र. 161 से 204) तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट (पृष्ठ क्र. 205 से 237) प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। साथ ही इस कार्यालय द्वारा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में वर्ष 2006—07 में सड़क किनारे दुगली वन परिक्षेत्र के वनकक्ष में किया गया रतनजोत वृक्षारोपण में से 2226 रतनजोत का पौधा भी प्रभावित हो रहा है, जिसकी जानकारी प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 158 से 160 में संलग्न किया गया है। रतनजोत का पौधा ईमारती एवं जलाऊ हेतु उपयुक्त न होने के कारण इसे प्रकरण में प्रभावित 2498 वृक्षों की गणना में शामिल नहीं किया गया है।

अतः वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी के द्वारा प्रेषित प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेबसाइट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र—3 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 04 प्रतियों में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न:—1. प्रस्ताव 04 प्रतियों में
2. टाईम लाईन

पृ.क्रमांक/तक.शा/रा./ 8377
प्रतिलिपि :—

1. वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी की ओर संदर्भित पत्र 02 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


31/7
मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 31/7/2023


31/7
मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)
27/01/23